न्यायालय–माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर(म.प्र.)

प्र.क्रं....... / 2016–17 निगरानी III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3313

1. मातादीन पुत्र सिरनाम सिंह
2. मुकेश पुत्र सिरनाम सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासीगण ग्राम तिघरा तहसील व जिला मुरैना (म0प्र0)

.................आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामौतार पुत्र सुघर सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम तिघरा तहसील व जिला मुरैना (म0प्र0)

........असलअनांवेदक

2. रामअखत्यार सिंह पुत्र मुरली सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तिघरा तहसील व जिला मुरैना (म0प्र0)

.............तरतीवी अनावेदक

श्री मुकेश भारद्वाज द्वारा आज दि. 14-9-17 प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट 14-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भारद्वाज
14-9-17 एडवोकेट
ग्वालियर
CF 29.09.17

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 01.09.2017 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्र0क्र0 117 / 16–17 अ0मा0 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संपेक्ष में निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

1. यहकि, ग्राम तिघरा की भूमियों के सम्बध में तहसीलदार के प्र0क्र0 18 / 2005–06 अ 74 से आवेदकगण के नामक इन्द्राज दिनांक 15.09.2016 को किया गया जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के न्यायालय में अवधि वाह्यय प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 95 / 2010–11 अ0मा0 पर पंजीवृद्ध हुई। जिसमें अपीलान्ट / तरतीवी अनावेक क्र0 2 मात्र पक्षकार रहें और उक्त अपील दिनांक 09.10.2012 को अवधि वाह्यय होने से निरस्त की गई।

2. यहकि उक्त एस.डी.ओ. मुरैना के आदेश के विरूद्ध तरतीवी अनावेदक क्र0 2 ने अपील आयुक्त महोदय चम्बल संभाग को प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 124 / 12–13 अ0मा0 पर पंजीवृद्ध होकर दिनांक 18.09.14 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई जिसमें भी मात्र अनावेदक क्र0 2 पक्षकार रहा।

...स्वीकृत आर्डर की प्रति...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III / निगा० / मुरैना / भूरा / 2017 / 3313 जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/6/18	आवेदक माता दीन, मुकेश स्वयं उप०/ अनावेदक राम अवतार एवं राम औतार स्वयं उपस्थित। 2- आवेदक मातादीन, मुकेश पुत्रगण शिवनाम सिंह गुर्जर द्वारा अपना-अपना आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की गई है। 3- आवेदक माता दीन, मुकेश द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	मातादीन प्रकरण चलाना नहीं चाहते रामऔतार रामअव० [illegible]

[कृ. प. उ.